

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-4699 / 2022

वेदवती आर्य

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2022  
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4'ए' के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड-III के पद पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 5 के आदेश दिनांक 08.08.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का ए.पी.ओ. (आदेशों की प्रतीक्षा) समाप्ति पश्चात् राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलवाडा, पेपट, ब्लॉक गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 5 के आदेश दिनांक 24.08.2022 (अनुलग्नक-3) द्वारा अपीलार्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होने के निर्देश जारी किये।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि काउंसलिंग के दौरान शाला दर्पण बेवसाईट पर गंगापुर सिटी में रिक्त पद को नहीं दर्शाया गया तथा अपीलार्थी का

पदस्थापन गंगापुर सिटी के बाहर 50 कि.मी. दूर किया। इस संबंध में अपीलार्थी ने मेल के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को अवगत कराया। अपीलार्थी का पति रेल्वे में कार्यालय अधीक्षक के पद पर गंगापुर सिटी में कार्यरत है। आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक-1) के कारण अपीलार्थी को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि ब्लॉक गंगापुर सिटी में रिक्त पदों में से किसी एक पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये

जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य